

शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 19-09-2020, वर्ग - B.A. II

State Finance Commission राज्य वित्त आयोग

73 वें Constitution amendment
अपिनिधम में यह प्रावधान किया गया है
कि राज्यों के राज्यपाल 73 वें संविधान सं-
शोधन अपिनिधम 1992 के परिवर्तन के
एक वर्ष के अवधि में यथा शिष्टि और उसके
पश्चात् 5 प्रतिवर्ष के अन्तराल पर संविधान के
अनुच्छेद 243-I (243-अ) के तहत एक अध्यक्ष
और अधिकतम 4 अन्य सदस्यों सहित वित्त
आयोग का गठन करेगा कि पंचायती राज
संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र
के Finance Commission की तर्ज पर 1993 में
भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की
स्थापना की गयी थी जिसका उद्देश्य पंचा-
यतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और
इसके लिए निम्न बातों में सिफारिश करना
होता है —

1) राज्य द्वारा लगाये गए करो, शुल्को, टोल,

और फीस की विशुद्ध आय का पंचायती तथा राज्य के बीच आवंटन करना जिससे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता है।

ii) पंचायतों का कितने कर, शुल्क, टोल फीस सौंपी जा सकती है; का निर्धारण करना।

नगर निकायों की वित्तीय समीक्षा

(Financial Review of Municipalities) —

संविधान संशोधन अधिनियम

में यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत गठित आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-4 के तहत नगर निकायों की वित्तीय स्थिति का भी समीक्षा कर सकेगा।

⇒ राज्य वित्त आयोग के कार्य —

राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की

वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न
कदम उठाना। राज्य के संचित नीति से राज्य
में स्थित विभिन्न पंचायती राज्य संस्थाओं
और नगर निकायों को धन आवंटित करना।
वित्तीय मुद्दों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य
सरकार के मजालता के रूप में कार्य करना।
केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान
की जाने वाली राशि का सदुपयोग करना।
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, शुल्क,
टोल, और अधिशुल्क का राज्य
में स्थित विभिन्न नगर निकायों और
पंचायती राज संस्थाओं के बीच आवंटन
करना। कर, टोल, शुल्क और फीस, जिसे
राज्य में विभिन्न पंचायती राज्य संस्थाओं
और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता
है, का निर्धारण करना।

सांविधान के अनुच्छेद 243-5
का सम्बन्धित वित्त आयोग है जो पंचायतों
के विशेष मूलांकन के लिए वित्तीय स्थिति

स्वीकार करती हैं। भारत में पंचायती राज संस्था का आविष्कार और आकांक्षा का उपयोग करने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकार के साथ अंतिम टंक के अधिकार तक वित्त आसानी या सावधानी से उपलब्ध होता है तो सत्ता के अन्तर्ण को महसूस किया जा सकता है। इन पहलुओं के मद्देनजर राज्य वित्त आयोग की भूमिका को देखा जा सकता है।

⇒ स्वकारात्मक पक्ष :-

लोक तंत्र के विचार को बढ़ावा देना सरकार और शासन के वृहद विकासवादी पहलू। स्थानीय लोगों और स्थानीय नेताओं का स्वशक्तिकरण। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए धनराशि का सही मात्रा और समय में पहुंचाना।

⇒ नकारात्मक पक्ष :-

राज्य अपने वितीय अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहे

हैं। राज्य वितीय आयोग स्वयत्तता में बहुत अधिक हस्तक्षेप और अतिक्रमण का कार्य कर रहा है। राज्यों के पास स्वयं के खर्च के लिए पर्याप्त धन नहीं है। जिस वजह से जनशांति को बाधना करने के कारण मामूली जनशांति का राज्य सरकार द्वारा हमेशा विरोध किया जाता है। अभी तक राज्य वितीय आयोग के विचार को सच्ची भावना में लागू नहीं किया जा सका है।

The end.